न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी–अशोक कुमार मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या: 80/2017

भादरराम पुत्र हरीराम जाति स्वामी साकिन सरदारपुरा खर्था तहसील सूरतगढ़

(अपीलांट)

वनाम

1. सुल्तानराम पुत्र अर्जनराम जाति मेघवाल साकिन सरदारपुरा खर्था तहसील सूरतगढ़
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़

(रेस्पोडेंटस)

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1. श्री शिशपाल शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सुभाष चन्द बिश्नोई, अधिवक्ता रेस्पोडेंटस

निर्णय दिनांकः–20.11.2020

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 30.07.2008 जिसके द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 01 को टीसी आवंटित रकबा रोही सरदारपुरा खर्था के खसरा न. 226/4 के 7.590 है0 पर आवंटी कब्जा ना होते हुए भी खातेदारी अधिकारी जारी कर दिये के विरूद्व इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट ने जरिये अधिवक्ता अपील पेश कर निवेदन किया कि रेस्पोडेंट संख्या 01 को रोही सरदारपुरा खर्था के खसरा नं. 226/4 में 30.00 बीघा रकबा उपनिवेशन तहसीलदार द्वारा दिनांक 22.06.1976 को टीसी आवंटन किया गया। उक्त आवंटन के समय रकबा कॉलोनी ऐरिया में था व टीसी आवंटन नियम 1955 के नियम 2 अनुसार काश्तकारों का चयन होगा व नियम 5 अनुसार भी जो आवंटन योग्य होगा उसका रिजर्वेशन किया जावेगा व नियम 6 में टीसी आवंटन कमेटी का गठन किया जावेगा जिसमें पांच सदस्य यथा जिला कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी, उपनिवेशन तहसीलदार, प्रधान, आवंटित किये जाने वाले रकबा का सरपंच होगा व तत्पश्चात कमेटी की राय के उपरांत ही टीसी आवंटन होगा। रेस्पोडेंट संख्या 01 को उक्त टीसी आवंटन कमेटी में नहीं किया गया है। अकेले तहसीलदार को टीसी आवंटन करने का अधिकार ही नहीं है। टीसी आवंटन के समय आवंटी नाबालिग था व रेस्पोडेंट को किया गया टीसी आवंटन दिनांक 09.05.1978 को ही निरस्त हो गया तथा किसी भी न्यायालय ने उक्त निर्णय को निरस्त नहीं किया तथा उस दिनांक से आज तक रेस्पोडेंट को उक्त रकबा कमेटी में आवंटित नहीं हुआ है। रेस्पोडेंट का उक्त टीसी आवंटन नवीनीकरण भी नहीं हुआ है तथा ना ही मौका पर कब्जा काश्त है। आवंटन नियम 1970 के नियमों की पालना नही कि रकबा का कब्जा नही लिया व रकबा को कृषि योग्य भी नहीं किया व राजस्व रिकार्ड 2042 में रेस्पो0 का नाम नहीं है। अतः बिना कब्जा काश्त की जांच किये ही जारी की गई खातेदारी निरस्त की जावे।
3. अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री शिशपाल शर्मा व रेस्पोडेंट संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री सुभाष चन्द बिश्नोई हाजिर आये। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सूरतगढ़ (राजस्थान)

Scanned by CamScanner

4. योग्य अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि टीसी आवंटन करने से पहले आवंटन कमेटी का गठन किया जाता है जिसमें पांच सदस्य यथा जिला कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी, उपनिवेशन तहसीलदार, प्रधान, आवंटित किये जाने वाले रकबा का सरपंच होते व तत्पश्चात कमेटी की राय के उपरांत ही टीसी आवंटन कर सकते है। रेस्पोडेंट संख्या 01 जैर अपील रकबा का टीसी आवंटन, कमेटी में नहीं किया गया है। टीसी आवंटन केवल एक वर्ष के लिए ही होता है। टीसी आवंटन के समय आवंटी बालिग होने के संबंध में भी जांच नहीं की गई। रेस्पोडेंट का उक्त टीसी आवंटन का नवीनीकरण नहीं हुआ है तथा ना ही कभी किश्ते खजाना राज में जमा करवाई गई। मौका पर आवंटी के कब्जा काश्त संबंधी भी जांच नही की गई। मात्र पेपर टीसी आवंटन के आधार पर ही खातेदारी जारी कर दी। जैर अपील आदेश अपीलांट की पीठ पीछे व एक तरफा तौर पर जारी किये गये है जिसकी जानकरी अपीलांट को दिनांक 22.05.2017 को हुई तब अपीलांट ने नकल इत्यादी प्राप्त कर अपील पेश कर दी। अतः धारा 5 मियाद का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपील अपीलांट स्वीकार की जावे।

5. योग्य अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 01 श्री सुभाष चन्द बिश्नोई ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट ने यह स्पष्ट ही नहीं किया कि वे अधीनस्थ न्यायालय के जैर अपील आदेश से किस प्रकार प्रभावित हुए है। मुझ रेस्पोडेंट ने अपीलांट के रकबा में किसी प्रकार की कोई दखल अंदाजी नही की है। राजस्थान काश्तकारी (टिनेन्सी) अधिनियम 1955 की 188 पेज 424 पेश कर निवेदन है कि यदि किसी व्यक्ति जिसके भूमि–क्षेत्र या भूमि क्षेत्र के भाग पर उसके अधिकार अथवा उपभोग पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण किया जाता है तो वह न्यायालय उपखण्ड अधिकारी से अस्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी करवा सकता है। अपीलांट भादर राम द्वारा भी न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ में एक वाद प्रकरण संख्या 190/2016 अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए व 209 आरटी एक्ट अनवान भादरराम बनाम सुल्तानराम व अन्य दर्ज करवाया जो स्वयं भादरराम द्वारा दिनांक 17.04.2017 को विड्रॉ कर लिया गया। जिससे यह साबित है कि मुझ रेसपो0 द्वारा अपीलांट रकबा में किसी प्रकार की दखलअंदाजी नहीं की गई है। तहसीलदार द्वारा ही पूर्ण पात्रता व अन्य जांच कर टीसी आवंटन किया जाता है। अपीलांट ने यह अपील कब्जा के अभाव में आवंटन में निरस्त करने बाबत की है, जबकि यदि किसी आवंटी द्वारा आवंटन नियमों का उल्लघंन दिया जाता है या तथ्यों को छुपाकर आवंटन किया जाता है तो राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 11, 14 के तहत उसकी शिकायत करनी चाहिए थी। अपीलांट द्वारा यह अपील मुझ रेस्पोडेंट के खातेदारी रकबा के आवंटन को निरस्त करवाकर खुद रमालपेच में आवंटन करवाने की बदनियती से यह अपील पेश की है। टीसी आवंटन से लेकर आज दिनांक तक उक्त रकबा का कब्जा अपीलांट के पास चला आ रहा है तथा अपीलांट अपने खातेदारी रकबा पर आवंटन से लेकर आज तक काश्त करता आ रहा है। अपीलांट को उक्त रकबा की खातेदारी दिनांक 30.07.2008 को हुई और अपीलांट ने यह अपील दिनांक 23.05.2017 को पेश की है। लगभग 9 वर्ष देरी से पेश की गई अपील स्वीकार नहीं की जा सकती है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे। न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 2006 पेज 531 की ओर ध्यान दिलाया।

6. योग्य अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर चिन्तन, मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों तथा अधिनस्थ न्यायालय की संलग्न पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा यह अपील निर्णय दिनांक 30.07.2009 के विरूद्ध दिनांक 23.05.2017 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। अपीलांटगण द्वारा अपील देरी से प्रस्तुत करने के कारण अपील के साथ मियाद अधिनियम की दफा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसका खंडन रेस्पो0 द्वारा प्रति शपथपत्र प्रस्तुत कर नहीं किया गया है। इस लिये न्याय हित में प्रार्थना

20/11/20

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner

मियाद अधिनियम दफा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

हमने उभय पक्ष की बहस पर चिंतन मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों तथा अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तथा न्यायिक दृष्टांतो का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया जिससे पाया कि आवंटी सुल्तान पुत्र अरजन ने दिनांक 03.06.1978 को तहसीलदार आरसीपी के समक्ष अस्थाई आवंटन हेतु एक प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर पात्रता की जांच कर टीसी आवंटन किया गया। टीसी नवीनीकरण हेतु पटवारी की रिपोर्ट ली गई व मौका पर आवंटी का कब्जा होने पर ही टीसी नवीनीकरण किया गया। तत्पश्चात आवंटन एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ द्वारा भी उक्त टीसी को पुख्ता करने से पूर्व पटवारी की रिपोर्ट ली गई, जिसमें भी पटवारी द्वारा मौके पर आवंटी का कब्जा होना बताया। उक्त रिपोर्ट के आधार पर आवंटन सलाहकार समिति की बैठक की राय के अनुसार उक्त रकबा पुख्ता आवंटन किया गया जिस पर तहसीलदार सूरतगढ़ ने खातेदारी के आदेश जारी किये। उक्त सभी आवंटन आदेश तथा खातेदारी आदेश जारी करने से पूर्व आवंटी की पात्रता व मौका पर कब्जा संबंधी जांच की गई जिसमे मौका पर आवंटी का कब्जा होना साबित होता है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दी गई खातेदारी भी नियमानुसार दी जानी प्रतीत होती है। जैसअपील भूमि पर आवंटी का कब्जा ना होने तथा अपील के तथ्यो की पुष्टि के संबंध में अपीलांट द्वारा कोई ठोस दस्तावेजात पेश नहीं किये है। अपीलांट ने यह अपील कब्जा के अभाव मे आवंटन में निरस्त करने बाबत की है, जबकि आवंटन निरस्त करवाने बाबत राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 11, 14 के तहत शिकायत करनी चाहिए थी।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड वापिस लौटाया जावें । पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20/11/20

(अशोक कुमार मीना)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़(श्रीगंगानगर)

Scanned by CamScanner